[ 2020 ] 13 एस. सी. आर 1191

पुलिस महानिदेशक,

रेल सुरक्षा बल और ओआरएस।

वी.

राजेन्द्र कुमार दुबे

( 2020 की सिविल अपील संख्या 3820)

25 नवंबर, 2020

[ डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़,

इंदू मल्होत्रा और के. एम. जोसेफ, जे. जे.]

सेवा कानूनः

अनिवार्य सेवानिवृत्ति-द्वारा लगाई गई सजा

विभागीय प्राधिकरण-रिट रिट याचिका-उच्च न्यायालय ने अनिवार्य सेवानिवृत्ति की सजा को घटाकर 6 महीने की अवधि के लिए रैंक में परिवर्तन कर दिया-50 प्रतिशत पिछले वेतन के साथ पुनर्स्थापना का निर्देश-अपील

सर्वोच्च न्यायालय को-आयोजितः अनिवार्य सेवानिवृत्ति के आदेश को दरकिनार करने में उच्च न्यायालय उचित नहीं था।

भारत का संविधानः

कलाएँ। 226 और 227-अनुशासनात्मक कार्यवाही में हस्तक्षेप करने के दायरे के तहत-आयोजितः उच्च न्यायालय, शक्ति का प्रयोग करते हुए

यू/आर्ट्स। 226 और 227 को कला के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए साक्ष्य की सराहना करने का साहस नहीं करना चाहिए। 226 , उच्च न्यायालय अपील का न्यायालय नहीं है-उच्च न्यायालय का हस्तक्षेप उन मामलों तक सीमित है जहां कार्यवाही प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के साथ असंगत है, या जहां निष्कर्ष किसी भी सबूत पर आधारित नहीं हैं या वैधानिक नियमों का उल्लंघन करते हैं या जहां अधिकारियों को किसी बाहरी विचार से प्रेरित किया गया था या जहां इसके चेहरे पर निष्कर्ष मनमाना और मज़बूत था।

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः 1.1 संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय जनता के खिलाफ विभागीय जांच करने वाले अधिकारियों के फैसले पर अपील करने वाली अदालत नहीं है।

सेवक। साक्ष्य की समीक्षा करना और साक्ष्य पर एक स्वतंत्र निष्कर्ष पर पहुंचना अपने रिट अधिकार क्षेत्र के तहत उच्च न्यायालय का कार्य नहीं है। हालाँकि, उच्च न्यायालय हस्तक्षेप कर सकता है जहाँ विभागीय प्राधिकरण ने कार्यवाही की है।

अपराधी अधिकारी के खिलाफ प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के साथ असंगत हैं, जहां निष्कर्ष किसी भी सबूत पर आधारित नहीं हैं, जो उचित रूप से इस निष्कर्ष का समर्थन कर सकते हैं कि अपराधी अधिकारी आरोप का दोषी है, या जांच के तरीके को निर्धारित करने वाले वैधानिक नियमों का उल्लंघन कर रहा है, या अधिकारियों को कुछ बाहरी विचारों द्वारा प्रेरित किया गया था और वे एक निष्पक्ष निर्णय तक पहुंचने में विफल रहे।

निर्णय, या खुद को अप्रासंगिक विचारों से प्रभावित होने दिया, या जहां इसके चेहरे पर निष्कर्ष इतना पूरी तरह से मनमाना और मनमौजी है कि कोई भी उचित व्यक्ति कभी भी उस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकता था। हालाँकि, यदि जांच ठीक से आयोजित की जाती है, तो विभागीय प्राधिकरण तथ्यों का एकमात्र न्यायाधीश होता है, और यदि कुछ कानूनी साक्ष्य हैं जिन पर निष्कर्ष आधारित हो सकते हैं, तो उस साक्ष्य की पर्याप्तता या विश्वसनीयता ऐसा मामला नहीं है जिसे उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका में प्रचार करने की अनुमति दी जा सकती है। उच्च न्यायालय भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए साक्ष्य का पुनर्मूल्यांकन करने का साहस नहीं करेगा। [ पैरा 12.1] [1199 जी-एच; 1200-ए-सी; 1202-डी]

आंध्र प्रदेश राज्य बनाम। एस. श्री रामाराव ए. आई. आर. 1963 एस. सी. 1723 [1964] 3 एस. सी. आर. 25; आंध्र प्रदेश राज्य बनाम। चित्रा वेंकट राव (1975) 2 एस. सी. सी. 557: [ 1976 ] 1 एस. सी. आर. 521; भारत संघ बनाम। जी. गणयुथम (1997) 7 एससीसी 463: [ 1997 ] 3 पूरक। एस. सी. आर. 549; महानिदेशक आर. पी. एफ. बनाम। च. साई बाबू

( 2003 ) 4 एससीसी 331: [ 2003 ] 1 एससीआर 729; चेन्नई महानगर जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड v. टी. टी. मुरली (2014) 4 एससीसी 108 [2014] 1 एससीआर 987; भारत संघ बनाम। मानब कुमार गुहा (2011) 11 एस. सी. सी. 535: [ 2011 ] 3 एस. सी. आर. 272; राजस्थान राज्य और अन्य। वी. हेम सिंह 2020 ए. आई. आर. 5455; भारत संघ बनाम। पी. गुनासेकरन (2015) 2 एससीसी 610 [2014] 13 एससीआर 1312; बी. सी. चतुर्वेदी बनाम भारत संघ (1995) 6 एस. सी. सी. 749 [1995] 4 पूरक। एस. सी. आर. 644; भारत संघ बनाम। जी. गणयुथम (1997) 7 एससीसी 463: [ 1997 ] 3 पूरक। एस. सी. आर. 549; ओम कुमार बनाम भारत संघ (2001) 2 एस. सी. सी. 386 [2000]

4 पूरक। एस. सी. आर. 693; कोयंबटूर जिला केंद्रीय सहकारी बैंक बनाम। कर्मचारी संघ (2007) 4 एस. सी. सी. 669 [2007] 5 एस. सी. आर. 430; कोल इंडिया लिमिटेड बनाम। मुकुल कुमार चौधरी (2009) 15 एस. सी. सी. 620 [2009] 13 एस. सी. आर. 487; चेन्नई महानगर

जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड v. टी. टी. मुरली बाबू (2014)

4 एस. सी. सी. 108 [2014] 1 एस. सी. आर. 987-- पर निर्भर था।

पुलिस महानिदेशक, रेल सुरक्षा बल और हमारा। वी. राजेन्द्र कुमार दुबे 1.2 वर्तमान मामले में, अनुशासनात्मक प्राधिकरण के खिलाफ दुर्भावना या क्षमता की कमी का कोई आरोप नहीं है।

अनिवार्य सेवानिवृत्ति के आदेश को पारित करने में अनुशासनात्मक प्राधिकरण, या प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन, या कि निष्कर्ष किसी भी सबूत पर आधारित नहीं थे। [ पैरा 12.2] [1203 डी-ई] 1.3 प्रत्यर्थी के खिलाफ लगाए गए विभिन्न आरोप रेलवे संपत्ति की चोरी के संबंध में कर्तव्य की घोर उपेक्षा से उत्पन्न होते हैं। आरोप 1 (बी) और (सी) के तहत कर्तव्य की घोर उपेक्षा के निष्कर्षों को समवर्ती रूप से बरकरार रखा गया है। जाँच अधिकारी और अनुशासनात्मक प्राधिकरण के निष्कर्ष इस पर आधारित हैं -

अभिलेख पर सामग्री। उच्च न्यायालय ने पहले की अदालत के रूप में पूरे साक्ष्य का पुनर्मूल्यांकन करना उचित नहीं माना।

अपील करना, और बिना किसी उचित कारण के कम सजा द्वारा सजा के आदेश को प्रतिस्थापित करना। [ पैरा 12.5] [1205-डी-ई]

2. रेलवे सुरक्षा बल अधिनियम, 1957 की धारा 11 में प्रावधान है कि यह प्रत्येक वरिष्ठ अधिकारी का कर्तव्य होगा और

रेलवे संपत्ति और यात्रियों की रक्षा और सुरक्षा के लिए बल के सदस्य। रेलवे सुरक्षा बल में एक पुलिस अधिकारी

अपने आधिकारिक कार्यों के निर्वहन में ईमानदारी के उच्च मानक को बनाए रखने की आवश्यकता होती है। वर्तमान मामले में, आरोप साबित हुए

प्रत्यर्थी के खिलाफ "कर्तव्य की उपेक्षा की गई" जिसके परिणामस्वरूप रेलवे को आर्थिक नुकसान हुआ। प्रत्यर्थी रेलवे पुलिस में एक उप निरीक्षक था जो विश्वास और विश्वास के पद का निर्वहन करता था जिसके लिए पूर्ण सत्यनिष्ठा की आवश्यकता होती थी। इसलिए उच्च न्यायालय अनिवार्य सेवानिवृत्ति के आदेश को दरकिनार करने और परिणामी लाभों के साथ पुनः नियुक्ति और 50 प्रतिशत की सीमा तक बैकवेज के भुगतान का निर्देश देने में उचित नहीं था। [ पैरा 12.6] [1205-एफ-एच; 1206-ए]

मामला कानून संदर्भ

[ 1964 ] 3 एससीआर 25

उस पर भरोसा करें

पैरा

12.1

[ 1976 ] 1 एससीआर 521

उस पर भरोसा करें

पैरा

12.1

[ 1997 ] 3 पूरक। एससीआर 549

उस पर भरोसा करें

पैरा

12.1

[ 2003 ] 1 एससीआर 729

उस पर भरोसा करें

पैरा

12.1 [2020] 13 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[ 2014 ] 1 एससीआर 987

उस पर भरोसा करें

पैरा

12.1

[ 2011 ] 3 एससीआर 272

उस पर भरोसा करें

पैरा

12.1

उस पर भरोसा करें

पैरा

12.1

2020 एयर 5455 [ 2014 ] 13 एससीआर 1312

उस पर भरोसा करें

पैरा

12.1

[ 1995 ] 4 पूरक। एससीआर 644

उस पर भरोसा करें

पैरा

12.1

[ 1997 ] 3 पूरक। एससीआर 549

उस पर भरोसा करें

पैरा

12.1

[ 2000 ] 4 पूरक। एससीआर 693

उस पर भरोसा करें

पैरा

12.1

[ 2007 ] 5 एससीआर 430

उस पर भरोसा करें

पैरा

12.1

[ 2009 ] 13 एससीआर 487

उस पर भरोसा करें

पैरा

12.1

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं. 3820

2020 से।

उच्च न्यायालय के 03.07.2017 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2009 के डब्ल्यू. पी. सं. 941 में बॉम्बे, नागपुर पीठ, नागपुर में न्यायिक कार्य।

ए. के. श्रीवास्तव, वरिष्ठ अधिवक्ता। , सुश्री रश्मि मल्होत्रा, अंतराक्ष सिंह,

राज बहादुर यादव, श्रीमती अनिल कटियार, विकास उपाध्याय, अधिवक्ता। उपस्थित दलों के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

इंदू मल्होत्रा, जे.

छुट्टी दे दी गई।

1. हमारे विचार के लिए जो मुद्दा उठा है वह वैधता है।

उच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यर्थी के विरुद्ध सांविधिक प्राधिकारियों द्वारा पारित अनिवार्य सेवानिवृत्ति के आदेश को अपास्त करने के लिए अपनी रिट अधिकारिता का प्रयोग करते हुए पारित किए गए निर्णय के, और इसे सभी परिणामी लाभों और 50 प्रतिशत प्रतिदान के साथ पुनः स्थापना के आदेश द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।

2. प्रत्यर्थी को 1984 में एक सिपाही के रूप में नियुक्त किया गया था

झांसी में रेलवे सुरक्षा बल (आर. पी. एफ.)। 28.02.2006 पर, उन्हें पुलगांव रेलवे स्टेशन, महाराष्ट्र (चौकी) में एस. आई. पी. एफ. (एडहॉक) उप-निरीक्षक के रूप में तैनात किया गया था।

3. 11.12.2006 पर, प्रत्यर्थी को निलंबित कर दिया गया था

तत्काल प्रभाव से जांच लंबित है। 04.01.2007 पर, रेलवे सुरक्षा निदेशक सामान्य पुलिस, रेल सुरक्षा बल और ओआरएस के नियम 153 के तहत बड़े जुर्माने के लिए एक आरोप पत्र जारी किया गया था।

वी. राजेन्द्र कुमार दुबे [इंदु मल्होत्रा, जे.]

वरिष्ठ संभागीय सुरक्षा आयुक्त आर. पी. एफ. द्वारा बल नियम, 1987. बनाए गए आरोप थेः

" ( 1 ) कर्तव्य का बढ़ता प्रभाव जिसमें आप रोकने में विफल रहे

और उचित शीघ्रता और परिश्रम के साथ पता लगाएंः -

( क) 02 नंबरों की चोरी। प्राथमिक इंजेक्शन किट का मूल्य रु। 28,000 / - लगभग। कर्षण उप-स्टेशन से कि. मी., नं.

सीनियर डीएससी/आर. पी. एफ./नागपुर का कार्यालय। ( ग) कि. मी. पर रखे लॉट नं. 14-04-06-02-2281 की एक कोच ट्रॉली की चोरी। No.672/32 रेलवे स्टेशनों के बीच तिमतला

मालखेड़ ने 05.12.2006 पर रिपोर्ट किया ( 2 ) " प्राधिकरण का दुरुपयोग "जिसमें आपने अनावश्यक उपयोग किया

प्रतीक्षा में शेख इब्राहिम नाम के एक यात्री के साथ हिंसा

31.10.2006 पर पुलगांव रेलवे स्टेशन का कमरा।

4. जाँच अधिकारी (ई. ओ.) ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 22.06.2007 के माध्यम से प्रत्यर्थी को आरोप 1 (ए) से दोषमुक्त कर दिया क्योंकि यह साबित नहीं हुआ था। आरोप 1 (बी), (सी) और 2 साबित पाए गए।

5. आई. डी. 1 पर, अनुशासनात्मक प्राधिकरण अर्थात वरिष्ठ संभागीय सुरक्षा आयुक्त, आर. पी. एफ. नागपुर ने ई. ओ. के निष्कर्षों को स्वीकार कर लिया। कर्तव्य की घोर उपेक्षा और अधिकार के दुरुपयोग के आरोपों की गंभीरता को देखते हुए, अनुशासनात्मक प्राधिकरण ने तत्काल प्रभाव से सेवा से हटाने का दंड लगाया। 6. प्रत्यर्थी ने डी. आई. जी.-सह अतिरिक्त मुख्य सुरक्षा आयुक्त, आर. पी. एफ. मुंबई के समक्ष अपील की।

अपीलीय प्राधिकरण ने आंशिक रूप से अपील की अनुमति देते हुए इसे बरकरार रखा

प्रभार 1 (बी) और 1 (सी) के संबंध में निष्कर्ष। आरोप 1 (बी) 19 सी. एस. टी.-9 प्लेटों की चोरी से संबंधित; सत्यापन पर, यह पाया गया कि

सी. एस. टी.-9 प्लेटों के 6 जोड़े की कमी थी। आरोप 1 (सी) रुपये मूल्य की 1 कोच ट्रॉली की चोरी से संबंधित एक विशेष रिपोर्ट मामला था। 28,000 और साबित पाया गया। हालांकि, अपीलीय प्राधिकरण

सेवा से हटा दिया गया क्योंकि मिलीभगत या भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं था प्रत्यर्थी के खिलाफ अभ्यास करें।

0 ] 13 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

आरोप संख्या 2 के संबंध में, यह अभिनिर्धारित किया गया कि उक्त आरोप साबित नहीं हुआ था, क्योंकि इस आरोप के समर्थन में किसी भी गवाह से पूछताछ नहीं की गई थी। ई. ओ. ने एक यात्री शेख द्वारा दर्ज की गई शिकायत पर भरोसा किया था। इब्राहिम ने पुलगांव रेलवे स्टेशन की शिकायत पुस्तिका में, जिसे ई. ओ. द्वारा प्रारंभिक जांच किए बिना या शिकायतकर्ता से पूछताछ किए बिना साबित किया गया था। इस आरोप के समर्थन में अन्य सबूत पुलगांव रेलवे स्टेशन पर दर्ज शिकायत के बारे में इंस्पेक्टर, आर. पी. एफ. वर्धा द्वारा प्रस्तुत एक रिपोर्ट थी। प्राप्त गोपनीय जानकारी के अनुसार, यह सूचित किया गया कि प्रतिवादी पुलगांव रेलवे स्टेशन पर लोगों को पीट रहा था और पैसे इकट्ठा कर रहा था, जिससे लोगों में असंतोष पैदा हो गया और पुलगांव रेलवे स्टेशन से प्रतिवादी के स्थानांतरण के लिए धरना और आंदोलन हुआ। अपीलीय प्राधिकरण ने अभिनिर्धारित किया कि उक्त रिपोर्ट में नहीं था

आरोप के समर्थन में साक्ष्य मूल्य। नतीजतन, आरोप 2 को साबित नहीं माना गया।

अपीलीय प्राधिकरण ने दिनांक 1 के आदेश के माध्यम से सेवा से हटाने की सजा को बिना भविष्य के प्रभाव के 6 महीने की अवधि के लिए रैंक में परिवर्तन के लिए कम कर दिया।

7. डी. ए. आर. की कार्यवाही की समीक्षा की मांग वरिष्ठ संभागीय सुरक्षा आयुक्त/एन. जी. पी. द्वारा 10.09.2007 को संबोधित पत्र के माध्यम से की गई थी।

नियम 219.4 के तहत मुख्य सुरक्षा आयुक्त, क्योंकि अपीलीय प्राधिकरण के आदेश में कुछ खामियों को इंगित किया गया था। यह प्रस्तुत किया गया था कि यदि प्रत्यर्थी की सेवा जारी रखी जाती है तो आर. पी. एफ. की छवि बिगड़ जाएगी। यह भी पता चला था कि अपराधी कर्मचारी को निलंबन के दौरान सी. बी. आई., नागपुर द्वारा भ्रष्टाचार विरोधी मामले में गिरफ्तार किया गया था।

8. मुख्य सुरक्षा आयुक्त/सी. आर. ने उत्तरदाता को नियम 219.4 के तहत दिनांक 23.10.2007 पर कारणदर्शक नोटिस जारी किया। रेलवे सुरक्षा बल नियम, 1987 में सेवा से अनिवार्य सेवानिवृत्ति का जुर्माना लगाने का प्रस्ताव है।

उनके जवाब पर विचार करने के बाद, प्राधिकरण ने 05.12.2007 दिनांकित आदेश के माध्यम से कहा कि कर्मचारी के खिलाफ लगाए गए आरोप थे प्रकृति में बहुत गंभीर और संदेह से परे साबित हुआ था, जो थे

बल की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुँचाना। आरोपों की गंभीरता, कर्तव्य की घोर उपेक्षा और अधिकार के दुरुपयोग को देखते हुए, एक बड़ा जुर्माना लगाने का निर्देश दिया गया था। यह भी उल्लेख किया गया कि अपराधी कर्मचारी को सी. बी. आई., नागपुर द्वारा धारा 7 और 13 पुलिस महानिदेशक, रेल सुरक्षा बल और ओ. आर. एस. के तहत एक जाल मामले में गिरफ्तार किया गया था।

वी. राजेन्द्र कुमार दुबे [इंदु मल्होत्रा, जे.]

( 1 ) ( (घ) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत अवैध रूप से रिश्वत की मांग करने के लिए एक बड़े जुर्माने के लिए। यह तब हुआ था जब प्रतिवादी को निलंबित कर दिया गया था। तदनुसार, तत्काल प्रभाव से सेवा से अनिवार्य सेवानिवृत्ति की सजा लागू की गई थी।

यह निष्कर्ष निकाला गया कि ई. ओ. ने दोषी कर्मचारी को अपना बचाव करने का उचित अवसर देने के बाद मौजूदा डी. ए. आर. नियमों के अनुसार विभागीय जांच की थी। जाँच की कार्यवाही में कोई चूक या अनियमितता नहीं थी।

9. प्रत्यर्थी ने महानिदेशक, आर. पी. एफ. रेलवे बोर्ड के समक्ष अपील दायर की। महानिदेशक, आर. पी. एफ. रेलवे बोर्ड ने दिनांक 19/21.05.2008 के आदेश के माध्यम से अपील को खारिज कर दिया क्योंकि रिकॉर्ड पर कोई नई सामग्री नहीं लाई गई थी जो हस्तक्षेप के योग्य हो। जांच निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की गई पाई गई

नियम, जिसमें एक पर्याप्त और उचित अवसर था

कर्मचारी को अपना बचाव करने के लिए दिया गया। महानिदेशक ने दंड को बढ़ाने के लिए अपीलीय प्राधिकरण के विचार की पुष्टि की

आर. पी. एफ. नियमों के अनुसार। सजा को प्रतिवादी द्वारा किए गए दुराचार की गंभीरता के अनुरूप माना गया था।

10. उत्तरदाता ने इससे पहले 2009 की रिट याचिका संख्या 941 दायर की थी।

बॉम्बे, नागपुर पीठ में उच्च न्यायालय की न्यायपालिका ने दिनांकित 12.07.2007 और 05.12.2007of अनिवार्य आदेशों को रद्द करने और रद्द करने के लिए

सेवा से सेवानिवृत्ति। उच्च न्यायालय ने विवादित निर्णय और दिनांक 03.07.2017 के आदेश के माध्यम से आंशिक रूप से रिट याचिका की अनुमति दी। उच्च न्यायालय ने कहा कि आरोप 1 (बी) के संबंध में निष्कर्ष मलखेड़ और तिमतला रेलवे स्टेशनों के बीच 19 सी. एस. टी.-9 प्लेटों की चोरी से संबंधित हैं। चोरी की सूचना रिट याचिकाकर्ता को 21.11.2006 पर दी गई थी, जो आर. पी. एफ. चौकी, पुलगांव के प्रभारी थे। अपराधी कर्मचारी 25.11.2006 पर मौके पर गया, और एक साइट मैप के साथ एक पंचनामा बनाया, जिसमें सी. एस. टी. के 9 बार दर्ज किए गए-9 प्लेटों की कीमत रु। 20,520 वे छोटे पाए गए। एफ. आई. आर. निर्धारित प्रारूप में तैयार किया गया था। रिट याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप था कि वह एफ. आई. आर. पर हस्ताक्षर करने में विफल रहा और 03.12.2006 से 14.12.2006 तक मंजूरी के बिना छुट्टी पर चला गया।

उच्च न्यायालय ने नोट किया कि रिट याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप यह था कि उसने एफ. आई. आर. और केस डायरी [2020] 13 एस. सी. आर. के कार्यालय में जमा नहीं की थी।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

वरिष्ठ संभागीय सुरक्षा आयुक्त, नागपुर। रिट याचिकाकर्ता की अनुपस्थिति में वरिष्ठ संभागीय आयुक्त, नागपुर/आर. पी. एफ. द्वारा एफ. आई. आर. और केस डायरी प्राप्त की गई थी।

इसके बाद दूसरा पंचनामा निर्मल टोप्पो द्वारा तैयार किया गया, जो आर. पी. एफ. थाना, वर्धा के प्रभारी थे, जिन्होंने 26.11.2006 पर मौके का दौरा किया।

उच्च न्यायालय ने कहा कि रिट याचिकाकर्ता को 21.11.2006 पर हुई चोरी का पता नहीं लगाने के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता है, क्योंकि निर्मल टोप्पो द्वारा 26.11.2006 पर चोरी का पता लगाया गया था। उच्च न्यायालय के विचार में, रिट याचिकाकर्ता को नागपुर में मुख्य कार्यालय में चोरी की रिपोर्ट करने के लिए कर्तव्यबद्ध नहीं ठहराया जा सकता था, क्योंकि वह पुलिस का प्रभारी था

आर. पी. एफ. थाना, वर्धा के तहत चौकी, पुलगांव।

उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि वरिष्ठ संभागीय सुरक्षा आयुक्त का दिनांक 05.09.2007 का आदेश जिसमें यह देखा गया था कि

चोरी आम पाई जाती है, और किसी भी आर्थिक नुकसान के अभाव में, सेवा से हटाने की चरम सजा की गारंटी नहीं होगी, विशेष रूप से क्योंकि कोई नहीं था मिलीभगत या भ्रष्ट व्यवहार का आरोप। उच्च न्यायालय के अनुसार इस पर मुख्य सुरक्षा आयुक्त और रेलवे सुरक्षा बल के महानिदेशक द्वारा विचार नहीं किया गया था।

विचार किया क्योंकि यह एक अलग मामला था, और वर्तमान मामले में इस मुद्दे पर कोई आरोप नहीं बनाया गया था। रेलवे स्टेशन के बीच किमी 672/32 पर रखी गई Rs.28,000 मूल्य की 1 डिब्बे की ट्रॉली की चोरी के संबंध में शुल्क संख्या 1 (सी) के संबंध में

तिमतला और मलखेड़, उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि ट्रॉली की चोरी का पता एक अन्य अधिकारी ने लगाया था, इसलिए प्रतिवादी द्वारा मामले की सूचना नहीं देने में देरी का आरोप अपना महत्व खो देता है। निर्णय के पैराग्राफ 25 में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि वरिष्ठ संभागीय सुरक्षा आयुक्त द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष को बाधित नहीं किया जा सकता था।

आरोप 2 के संबंध में, उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि भौतिक गवाह यात्री शेख इब्राहिम था, जिससे पूछताछ नहीं की गई थी। रिलायंस को केवल यात्री द्वारा दर्ज की गई शिकायत पर रखा गया था।

और ऑटो-रिक्षा वालों द्वारा किया गया मोर्चा। अतः उक्त

आरोप अप्रमाणित था।

पुलिस महानिदेशक, रेल सुरक्षा बल और हमारा। वी. राजेन्द्र कुमार दुबे [इंदु मल्होत्रा, जे.]

उच्च न्यायालय ने वरिष्ठ संभागीय सुरक्षा आयुक्त द्वारा पारित 12.07.2007 दिनांकित आदेश के साथ-साथ दिनांकित आदेश को भी रद्द कर दिया।

18.02.2007 अनिवार्य सेवानिवृत्ति का आदेश देते हुए मुख्य सुरक्षा आयुक्त द्वारा पारित किया गया, और उक्त आदेश की पुष्टि करते हुए महानिदेशक रेलवे सुरक्षा बल द्वारा 19/21.05.2008 का आदेश पारित किया गया। उच्च न्यायालय ने वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त, रेलवे द्वारा दिनांकित प्रथम अपीलीय प्राधिकरण के आदेश को बहाल कर दिया

सुरक्षा बल। यह निर्देश दिया गया था कि रिट याचिकाकर्ता को सेवा में फिर से नियुक्त किया जाए, और भविष्य के प्रभाव के बिना, प्रेषित पद पर 50 प्रतिशत की सीमा तक बैकवेज सहित सभी परिणामी लाभों का हकदार होगा। 11. विभाग ने अनिवार्य आदेश को दरकिनार करते हुए उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने के लिए वर्तमान दीवानी अपील दायर की है।

परिणामी लाभों के साथ उत्तरदाता, और 50 प्रतिशत बैकवेज का भुगतान। इस न्यायालय ने 17.11.2017 दिनांकित आदेश के माध्यम से नोटिस जारी किया, और उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के संचालन पर रोक लगाने का निर्देश दिया।

12. चर्चा और विश्लेषण

12.1 हम सबसे पहले अनुशासन के संबंध में अपने रिट अधिकार क्षेत्र के प्रयोग में उच्च न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप के दायरे पर चर्चा करेंगे। कार्यवाही। यह अच्छी तरह से तय है कि उच्च न्यायालय को एक अपीलीय प्राधिकरण के रूप में कार्य नहीं करना चाहिए, और जांच से पहले दिए गए साक्ष्य की फिर से सराहना करनी चाहिए।

अधिकारी।

आंध्र प्रदेश राज्य बनाम S.Sree रामा राव में, इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने निर्णय दिया कि उच्च न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत संविधान एक लोक सेवक के खिलाफ विभागीय जांच करने वाले अधिकारियों के फैसले पर अपील करने वाली अदालत नहीं है। यह अपने रिट अधिकार क्षेत्र के तहत उच्च न्यायालय का कार्य नहीं है कि वह समीक्षा करे

साक्ष्य, और साक्ष्य पर एक स्वतंत्र निष्कर्ष पर पहुँचते हैं। हालाँकि, उच्च न्यायालय हस्तक्षेप कर सकता है जहाँ विभागीय प्राधिकरण 1 1 ए. आई. आर. 1963 एस. सी. 1723

0 ] 13 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

जिसने अभिनिर्धारित किया है कि अपराधी अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के साथ असंगत है, जहां निष्कर्ष हैं किसी भी साक्ष्य के आधार पर, जो उचित रूप से इस निष्कर्ष का समर्थन कर सकता है कि अपराधी अधिकारी आरोप का दोषी है, या जांच के तरीके को निर्धारित करने वाले वैधानिक नियमों का उल्लंघन करता है, या अधिकारी कुछ बाहरी विचारों से प्रेरित थे और एक निष्पक्ष निर्णय तक पहुंचने में विफल रहे, या खुद को अप्रासंगिक से प्रभावित होने दिया।

विचार, या जहां इसके चेहरे पर निष्कर्ष इतना पूरी तरह से मनमाना और मज़बूत है कि कोई भी उचित व्यक्ति कभी भी उस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकता था। यदि जांच ठीक से की जाती है, तो

विभागीय प्राधिकारी तथ्यों का एकमात्र न्यायाधीश होता है, और यदि कुछ कानूनी साक्ष्य हैं जिन पर निष्कर्ष आधारित हो सकते हैं, तो उस साक्ष्य की पर्याप्तता या विश्वसनीयता एक ऐसा मामला नहीं है जिसे रिट याचिका में उच्च न्यायालय के समक्ष प्रचार करने की अनुमति दी जा सके। इन सिद्धांतों को आगे आंध्र प्रदेश राज्य बनाम चित्रा वेंकट Rao.²2 में दोहराया गया था।

अभिलेख पर स्पष्ट रूप से एक रिट अदालत द्वारा ठीक किया जा सकता है, लेकिन तथ्य की त्रुटि नहीं, चाहे वह कितना भी गंभीर क्यों न हो। एक रिट जारी किया जा सकता है यदि यह दिखाया जाता है कि तथ्य के निष्कर्ष को दर्ज करने में, न्यायाधिकरण ने गलती से स्वीकार्य और भौतिक साक्ष्य को स्वीकार करने से इनकार कर दिया है, या गलती से किया है। अस्वीकार्य साक्ष्य को स्वीकार किया। न्यायाधिकरण द्वारा अभिलिखित तथ्य के निष्कर्ष को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है कि न्यायाधिकरण के समक्ष प्रस्तुत सामग्री साक्ष्य एक निष्कर्ष को बनाए रखने के लिए अपर्याप्त या अपर्याप्त है। साक्ष्य की पर्याप्तता या पर्याप्तता एक बिंदु पर आधारित है, और उक्त निष्कर्ष से लिया जाने वाला तथ्य का निष्कर्ष न्यायाधिकरण के अनन्य अधिकार क्षेत्र में है।

भारत संघ सहित इस न्यायालय के बाद के निर्णयों में v. जी. गनयुथम 3, महानिदेशक आर. पी. एफ. बनाम। च. साई बाबू 1, चेन्नई

महानगर जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड बनाम टी. टी. मुरली, 5 भारत संघ बनाम। मानव कुमार गुहा ने कहा, 'इन सिद्धांतों का लगातार पालन किया गया है।

2 ( 1975 ) 2 एससीसी 557।

3 ( 1997 ) 7 एस. सी. सी. 463

4 ( 2003 ) 4 एससीसी 331

5 ( 2014 ) 4 एससीसी 108

6 ( 2011 ) 11 एस. सी. सी. 535 ई. सी. आर. जनरल ऑफ पुलिस, रेल सुरक्षा बल। वी. राजेन्द्र कुमार दुबे [इंदु मल्होत्रा, जे.]इस न्यायालय द्वारा स्थान और अन्य राज्यों में हाल ही में दिए गए एक फैसले में। वी. हीम सिंह 'इस अदालत ने कानून का सारांश दिया है।

शब्दों को कम करनाः

" 33.अनुशासनात्मक मामलों में न्यायिक समीक्षा का प्रयोग करते हुए, वहाँ

स्पेक्ट्रम के दो छोर हैं। पहला संयम के नियम का प्रतीक है। दूसरा परिभाषित करता है कि कब हस्तक्षेप की अनुमति है।

निरोध का नियम न्यायिक समीक्षा के दायरे को सीमित करता है। यह एक उचित कारण के लिए है। कदाचार किया गया है या नहीं, इसका निर्धारण मुख्य रूप से अनुशासनात्मक प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र में होता है। न्यायाधीश अनुशासनात्मक प्राधिकारी की जिम्मेदारी नहीं संभालता है। न ही न्यायाधीश नियोक्ता की टोपी पहनता है। अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा तथ्य के निष्कर्ष का बचाव इस विचार की मान्यता है कि यह नियोक्ता है जो उनकी सेवा के कुशल संचालन के लिए जिम्मेदार है। अनुशासनात्मक पूछताछ में प्राकृतिक न्याय के नियमों का पालन करना होता है। लेकिन वे सबूत के सख्त नियमों द्वारा शासित नहीं होते हैं जो न्यायिक कार्यवाही पर लागू होते हैं। इसलिए सबूत का मानक वह सख्त मानक नहीं है जो उचित संदेह से परे सबूत के आपराधिक मुकदमे को नियंत्रित करता है, बल्कि एक नागरिक मानक है जो

संभावनाएँ। प्रधानता के नियम के भीतर, संदर्भ और विषय के आधार पर अलग-अलग दृष्टिकोण हैं। स्पेक्ट्रम का पहला छोर सम्मान और स्वायत्तता पर आधारित है-एक तथ्य खोजने वाले प्राधिकरण के रूप में अनुशासनात्मक प्राधिकरण की स्थिति का सम्मान और सेवा के अनुशासन और दक्षता को बनाए रखने में नियोक्ता की स्वायत्तता। जिसमे

स्पेक्ट्रम का दूसरा छोर यह सिद्धांत है कि अदालत के पास हस्तक्षेप करने का अधिकार क्षेत्र है जब जांच में निष्कर्ष किसी सबूत पर आधारित नहीं होते हैं या जब वे विकृति से पीड़ित होते हैं। महत्वपूर्ण साक्ष्य पर विचार करने में विफलता एक ऐसी घटना है जिसे कानून तथ्य के विकृत निर्धारण के रूप में मानता है।

आनुपातिकता हमारे न्यायशास्त्र की एक अंतर्निहित विशेषता है। सेवा न्यायशास्त्र ने इसे लंबे वर्षों से मान्यता दी है।

अदालत के अधिकार को हस्तक्षेप करने की अनुमति देना जब निष्कर्ष या दंड साक्ष्य या कदाचार के भार के अनुपात में न हो। न्यायिक कला रखरखाव में निहित है।

2020 की सी. ए. संख्या 3340 में एक पीठ द्वारा पारित दिनांक 29.10.2020

डी. वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी।

0 ] 13 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

इन दोनों तटों के तटों के बीच एक स्थिर पाल जिसे वर्णक्रम के दो छोर कहा गया है। न्यायाधीश ऐसा करते हैं।

जब वे न्यायिक समीक्षा करते हैं तो केवल हस्त मंत्र के पाठ के साथ आराम न करें। यह निर्धारित करने के लिए कि क्या अनुशासनात्मक जांच में निष्कर्ष कुछ सबूतों पर आधारित है, प्रारंभिक या सीमा स्तर की जांच की जाती है। यह अदालत की अंतरात्मा को संतुष्ट करने के लिए है कि कदाचार के आरोप का समर्थन करने और बचाव करने के लिए कुछ सबूत हैं।

विकृति। लेकिन यह अदालत को अनुशासनात्मक जांच में साक्ष्य संबंधी निष्कर्षों को फिर से समझने या प्रतिस्थापित करने की अनुमति नहीं देता है।

एक ऐसा दृष्टिकोण जो न्यायाधीश को अधिक उपयुक्त लगे। ऐसा करने से ऊपर बताए गए पहले सिद्धांत का उल्लंघन होगा। अंतिम मार्गदर्शक मजबूत सामान्य का अभ्यास है। जिसके बिना न्यायाधीशों की कला व्यर्थ है।

भारत संघ में v. पी. गुनासेकरन, 8 इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि उच्च न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए

भारत का संविधान साक्ष्यों का पुनर्मूल्यांकन करने का साहस नहीं करेगा। उच्च न्यायालय यह निर्धारित करेगा कि क्याः ( क) जांच सक्षम प्राधिकारी द्वारा की जाती है; (ख) जांच उस ओर से निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की जाती है; (ग) कार्यवाही के संचालन में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन होता है; (घ) अधिकारियों ने अक्षम कर दिया है।

स्वयं कुछ विचारों द्वारा एक उचित निष्कर्ष पर पहुंचने से जो मामले के साक्ष्य और गुणों के लिए बाहरी हैं; (ई) अधिकारियों ने खुद को अप्रासंगिक या बाहरी से प्रभावित होने की अनुमति दी है।

विचार; (च) निष्कर्ष, इसके बावजूद, इतना पूरी तरह से मनमाना और मनमाना है कि कोई भी उचित व्यक्ति कभी भी इस तरह के निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकता था; (छ) अनुशासनात्मक प्राधिकरण स्वीकार्य और भौतिक साक्ष्य को स्वीकार करने में गलती से विफल रहा था; (छ) अनुशासनात्मक प्राधिकरण ने गलती से अस्वीकार्य साक्ष्य को स्वीकार किया था जिसने निष्कर्ष को प्रभावित किया था; (i) तथ्य का निष्कर्ष किसी भी साक्ष्य पर आधारित नहीं है।

निर्णय के पैरा 13 में न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया किः

8 ( 2015 ) 2 एससीसी 610। B.C.Chaturvedi बनाम भारत संघ, (1995) 6 SCC 749; भारत संघ बनाम G गणयुथम, (1997) 7 SCC 463; ओम कुमार बनाम भारत संघ (2001) 2 SCC 386;

कोयंबटूर जिला केंद्रीय सहकारी बैंक बनाम कर्मचारी संघ, (2007) 4 एस. सी. सी. 669; कोल इंडिया लिमिटेड बनाम मुकल कुमार चौधरी, (2009) 15 एस. सी. सी. 620;

चेन्नई महानगर जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड बनाम टी. टी. मुरली बाबू, (2014) 4 एस. सी. सी. 108।

पुलिस महानिदेशक, रेल सुरक्षा बल और हमारा। वी. राजेन्द्र कुमार दुबे [इंदु मल्होत्रा, जे.]

" 13. भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत,

उच्च न्यायालय नहीं करेगाः

( (i) साक्ष्य का पुनः मूल्यांकन करना।

( (ii) जांच के निष्कर्षों में हस्तक्षेप करना, उस मामले में जो कानून के अनुसार किया गया है;

( (ग) साक्ष्य की पर्याप्तता पर गौर करें।

( (iv) साक्ष्य की विश्वसनीयता पर गौर करें।

( v) हस्तक्षेप करें, यदि कुछ कानूनी साक्ष्य हैं जिन पर

निष्कर्ष आधारित हो सकते हैं;

( vi) तथ्य की त्रुटि को ठीक करें, चाहे वह कितनी भी गंभीर क्यों न लगे।

होना;

( vii) सजा की आनुपातिकता में तब तक जाएँ जब तक कि यह झटका न दे

उसकी अंतरात्मा "।

12.2 वर्तमान मामले में, अनुशासनात्मक प्राधिकरण यानी मुख्य सुरक्षा आयुक्त के खिलाफ दुर्भावना का कोई आरोप नहीं है, या

अनिवार्य सेवानिवृत्ति के आदेश को पारित करने में अनुशासनात्मक प्राधिकरण की क्षमता, या प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन, या कि निष्कर्ष किसी भी सबूत पर आधारित नहीं थे।

12.3 हम इस मामले के अभिलेख से पाते हैं कि 1 (बी) और 1 (सी) के तहत आरोप समवर्ती रूप से अनुशासनात्मक प्राधिकरण, अपीलीय प्राधिकरण-मुख्य प्रतिभूति द्वारा साबित किए गए हैं।

आर. पी. एफ. के आयुक्त और आर. पी. एफ. रेलवे बोर्ड के महानिदेशक।

प्रभार 1 (बी) के तहत जारी किया गया मुद्दा एफ. आई. आर. का गैर-पंजीकरण था।

रेलवे की सी. एस. टी.-9 प्लेटों की चोरी के मामले से संबंधित। निष्कर्ष यह था कि भले ही प्रतिवादी ने जांच करने के बाद एफ. आई. आर. तैयार किया था, लेकिन उसने एफ. आई. आर. पर हस्ताक्षर नहीं किए, और उसके बाद बिना मंजूरी के छुट्टी पर चले गए। नतीजतन, एफ. आई. आर. दर्ज नहीं किया गया, और जांच सीमा पर ही विफल हो गई। कुछ देर के बाद दूसरा पंचनामा निर्मल टोप्पो द्वारा तैयार किया गया, जो आर. पी. एफ. थाना के प्रभारी थे, जिन्होंने मौके का दौरा किया और फिर एफ. आई. आर. पंजीकृत किया।

यह ध्यान देने योग्य है कि उच्च न्यायालय ने आरोप 1 (बी) के संबंध में निष्कर्ष को बाधित नहीं किया है।

0 ] 13 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

12.4 आरोप 1 (सी) के संबंध में, यह आरोप एक विशेष रिपोर्ट का मामला था, जो रेलवे संरक्षण के नियम 229 के अंतर्गत आता है। नियम जो निम्नानुसार हैं:

" 229. विशेष रिपोर्ट। - चौकी पर चोरी के मामलों में शामिल

समय-समय पर महानिदेशक द्वारा निर्धारित मूल्य, संभागीय सुरक्षा आयुक्त विशेष रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। मुख्य सुरक्षा को प्रति के साथ महानिदेशक को

आयुक्त और संबंधित अधिकारी को, जैसा कि निर्दिष्ट किया जाए,

निर्देशों के माध्यम से "।

आरोप 1 (सी) रेलवे की एक डिब्बे वाली ट्रॉली की चोरी से संबंधित था जिसे कबाड़ के रूप में बेचा जाना था और जिसका मूल्य Rs.28,000 था। आरोप यह था कि प्रत्यर्थी ने बीमारी की छुट्टी ले ली थी, ताकि 04.12.2006 पर ट्रॉली सौंपते समय उपस्थित होने से बचा जा सके।

यह आरोप अनुशासनात्मक प्राधिकरण, अपीलीय प्राधिकरण और पुलिस महानिदेशक द्वारा साबित किया गया था।

आर. पी. एफ. रेलवे बोर्ड

इस आरोप के संबंध में, उच्च न्यायालय ने एक

विरोधाभासी खोज। फैसले के पैरा 24 में, अदालत ने कहा कि ट्राली की चोरी का पता रिट से पहले किसी अन्य अधिकारी द्वारा लगाया गया था

अवकाश पर चल रहे याचिकाकर्ता। इसलिए, रिट याचिकाकर्ता द्वारा चोरी की सूचना देने में देरी के सवाल ने अपना महत्व खो दिया है। पैरा 25 में, उच्च न्यायालय ने हालांकि यह अभिनिर्धारित करते हुए एक विपरीत दृष्टिकोण अपनाया कि वह वरिष्ठ विभागीय सुरक्षा द्वारा लिए गए दृष्टिकोण से सहमत है।

दिनांकित 05.09.2007 आदेश में आयुक्त, जिसमें आरोप को साबित करने के लिए अभिनिर्धारित किया गया था। उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करते हुए निष्कर्ष निकाला कि आरोप इतना गंभीर नहीं था कि सेवा से हटाने की चरम सजा की आवश्यकता हो, क्योंकि मिलीभगत या भ्रष्ट प्रथाओं का कोई आरोप नहीं था।

05.12.2007 . 12.5 यह भी ध्यान देने योग्य है कि शुल्क 1 (बी) और 1 (सी) रेलवे सुरक्षा बल नियम, 1987 के नियम 146.2 के तहत आते हैं।

प्रदान करें:

पुलिस महानिदेशक, रेल सुरक्षा बल और हमारा। वी. राजेन्द्र कुमार दुबे [इंदु मल्होत्रा, जे.]

" 146.2 कर्तव्य की उपेक्षाः

अच्छे और पर्याप्त कारण के बिना बल का कोई सदस्य नहीं होगा -

i) किसी भी ऐसी चीज की उपेक्षा करना या उसमें भाग लेना छोड़ना या उसे उचित शीघ्रता और परिश्रम के साथ पूरा करने में विफल रहना जो उसका कर्तव्य है।

भाग लेने या निष्पादित करने के लिए बल का सदस्य; या

(ii) आदेशों के अनुसार अपना काम करने में विफल रहना या कर्तव्य स्थल को छोड़ना जिसमें उसे आदेश दिया गया है या किसी वास्तविक उद्देश्य के लिए अपना कर्तव्य स्थान छोड़ने के बाद वहां लौटने में विफल रहना।

(iii) बिना छुट्टी के अनुपस्थित रहना या किसी भी कार्य के लिए देर से आनाः या (iv) अपने कर्तव्य के दौरान प्राप्त किसी भी धन या संपत्ति का उचित रूप से लेखा देने या शीघ्र और सही वापसी करने में विफल रहता है।

प्रत्यर्थी के खिलाफ लगाए गए विभिन्न आरोप रेलवे संपत्ति की चोरी के संबंध में कर्तव्य की घोर उपेक्षा से उत्पन्न होते हैं। आरोप 1 (बी) और (सी) के तहत कर्तव्य की घोर उपेक्षा के निष्कर्षों को समवर्ती रूप से बरकरार रखा गया है। ई. ओ. और अनुशासनिक प्राधिकरण के निष्कर्ष आधारित हैं।

अभिलेख पर सामग्री। उच्च न्यायालय का पुनर्मूल्यांकन उचित नहीं था।

12.6 रेलवे सुरक्षा बल अधिनियम, 1957 की धारा 11 में प्रावधान है कि रेलवे संपत्ति और यात्रियों की रक्षा करना प्रत्येक वरिष्ठ अधिकारी और बल के सदस्य का कर्तव्य होगा। रेलवे सुरक्षा बल के गठन का प्राथमिक उद्देश्य रेलवे संपत्ति की बेहतर सुरक्षा और सुरक्षा सुनिश्चित करना है। इस बल के सदस्यों को गिरफ्तारी और तलाशी की सीमित शक्ति रेलवे संपत्ति की रक्षा और सुरक्षा के लिए उनके प्राथमिक कर्तव्य के कुशल निर्वहन और कानून को बनाए रखने के लिए आकस्मिक है।

रेलवे सुरक्षा बल में एक पुलिस अधिकारी को अपने अधिकारी के निर्वहन में ईमानदारी के उच्च मानक बनाए रखने की आवश्यकता होती है। कार्य। इस मामले में, प्रत्यर्थी के खिलाफ साबित हुए आरोप "कर्तव्य की उपेक्षा के थे" जिसके परिणामस्वरूप रेलवे को आर्थिक नुकसान हुआ। प्रत्यर्थी रेलवे पुलिस में एक उप-निरीक्षक था जो विश्वास और विश्वास के पद का निर्वहन करता था जिसके लिए पूर्ण सत्यनिष्ठा की आवश्यकता होती थी।

इसलिए उच्च न्यायालय अनिवार्य सेवानिवृत्ति के आदेश को दरकिनार करने और परिणामी लाभों के साथ पुनः स्थापना और 50 प्रतिशत की सीमा तक बैकवेज के भुगतान का निर्देश देने में उचित नहीं था।

12.7 सी. बी. आई. नागपुर द्वारा आपराधिक मामला दर्ज करने के संबंध में, उच्च न्यायालय ने माना कि यह वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त द्वारा ध्यान में रखा गया एक अप्रासंगिक विचार था।

इस मुद्दे पर, हमें सुनवाई के दौरान सूचित किया गया कि प्रतिवादी को विशेष न्यायाधीश, वर्धा द्वारा दोषी ठहराया गया है।

के तहत दंडनीय अपराधों के लिए 02.08.2017 दिनांकित निर्णय और आदेश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7 और 13 (2) को 13 (1) (डी) के साथ पढ़ा जाता है और जुर्माना सहित एक वर्ष के लिए आर. आई. से गुजरने की सजा सुनाई जाती है।

प्रत्यर्थी के वकील ने न्यायालय को सूचित किया कि एक अपील

उक्त फैसले के खिलाफ दायर किया गया है, जो विचाराधीन है। इसलिए हमने सी. बी. आई. मामले में निष्कर्षों का विज्ञापन नहीं करना उचित समझा है, ऐसा न हो कि यह प्रत्यर्थी के मामले पर प्रतिकूल प्रभाव डाले जो दोषसिद्धि के आदेश के खिलाफ अपील में लंबित है।

हमने जांच कार्यवाही में सामग्री और इस संबंध में वैधानिक अधिकारियों द्वारा पारित आदेशों के आधार पर अनिवार्य सेवानिवृत्ति के आदेश की वैधता के मुद्दे पर निर्णय लिया है।

12.8 मुख्य सुरक्षा आयुक्त द्वारा पारित दिनांक 05.12.2007 आदेश के अनुसार प्रतिवादी को अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त कर दिया गया था।

अनिवार्य सेवानिवृत्ति का आदेश 05.12.2007 पर प्रभावी हुआ। उत्तरदाता को अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त होने के बाद पेंशन का भुगतान किया जा रहा है।

बैकवेज के भुगतान के लिए उच्च न्यायालय का निर्देश था

उत्तरदाता-कर्मचारी के पुनर्नियुक्ति के परिणामस्वरूप। चूंकि हम दिनांक 05.12.2007 के अनिवार्य सेवानिवृत्ति के आदेश को बरकरार रख रहे हैं। मुख्य सुरक्षा आयुक्त द्वारा पारित, बैकवेज देने का कोई सवाल ही नहीं है। किसी भी मामले में प्रतिवादी को उसकी अनिवार्य सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन का भुगतान किया जा रहा है।

13. हम आदेश देते हैं और निर्देश देते हैं कि:

( क) अपील की अनुमति दी जाती है, और उच्च न्यायालय के निर्णय को ऊपर उल्लिखित कारणों के लिए अलग कर दिया जाता है, और

मुख्य सुरक्षा आयुक्त द्वारा 05.12.2007 पर पारित अनिवार्य सेवानिवृत्ति, जैसा कि महानिदेशक, आर. पी. एफ. द्वारा पुष्टि की गई है, दिनांक 19/21.05.2008 के आदेश को बहाल किया जाता है।

पुलिस महानिदेशक, रेल सुरक्षा और हमारा। वी. राजेन्द्र कुमार दुबे [इन्दु मल्होत] ( ख) प्रत्यर्थी ने अपनी लिखित प्रस्तुति में कहा है कि उसे देय ग्रेच्युटी जारी नहीं की गई है।

विभाग अब तक।

हम अपीलकर्ता-विभाग को निर्देश देते हैं कि वह भारत सरकार द्वारा जारी आवेदन ज्ञापन/अधिसूचना के साथ पठित ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972 की धारा द्वारा प्रदान किए गए ब्याज के साथ आज से प्रति सप्ताह के भीतर 05.12.2007 से ग्रेच्युई और प्रतिवादी को देय राशि जारी करे।

तदनुसार उपरोक्त शर्तों में अपील की अनुमति है।

लागत के बारे में आदेश दें।

लंबित आवेदनों, यदि कोई हों, का तदनुसार निपटारा किया जाता है।

कल्पना के. त्रिपाठी

एप्पी